कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय,उ0 प्र0, इलाहाबाद

सं0-ए0ई0.2 / सामान्य प्रशासन (मुख्य)/ग्रुप.1 / 13 / 2017 / वा0–2/437 दिनांक : 22-1-19

नीलामी सूचना

इस कार्यालय में निष्प्रयोज्य सामग्रियों के निस्तारण/ बिक्री हेतु (जहॉं है जैसा है के आधार पर) सील बंद लिफाफे में दिनांक 13.02.2019 को अपराह्न 03:00 बजे तक दरें आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता दिनांक 04.02.2019 एवं 05.02.2019 को अपराह्न 03:30 बजे से 04:30 बजे तक निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदादाता को निविदा में भाग लेने हेतु EMD धनराशि के रुप में रु. 25000/-(रू0 पच्चीस हजार मात्र) का बैक ड्राफ्ट, जो ''वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद'' के पक्ष मे देय हो, संलग्न करना होगा बिना EMD धनराशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

व0लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद

सं0-ए0ई0.2 / सामान्य प्रशासन (मुख्य)/ग्रुप.1 / 13 / 2017 / वा0–2/438 दिनांक : 22-1-19

इस कार्यालय द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्रियों (जहाँ है जैसा है के आधार पर) के निस्तारण / बिक्री हेतु सीलबंद लिफाफे में **दिनांक** 13.02.2019 **को अपराहन 03.00 बजे तक** निविदायें आमंत्रित की जाती है। खुले हुए लिफाफे स्वीकार नहीं होंगे। निष्प्रयोज्य सामग्रियों के निस्तारण / बिक्री की शर्तें निम्नलिखित है:

निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी की शर्तें

1-निष्प्रयोज्य सामग्री क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक 04.05.2019 एवं 05.02.2019 को अपराह्न 03:30 से 04:30 तक कार्यालय परिसर में निष्प्रयोज्य सामानों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

2-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ EMD धनराशि के रुप में रु.25000/-(रू0 पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो **"वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0 प्र0, इलाहाबाद"** के पक्ष मे देय हो, संलग्न करना होगा । बिना EMD धनराशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

3-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक निविदादाता को अपनी पहचान, कबाड खरीदने से संबंधित सरकारी रजिस्टेशन एवं निवास से सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4-निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दरों के मुहरबंद लिफाफे **दिनांक 13.02.2019 को अपराहन 03.00 बजे** तक श्री राम लाल, व0**लेखाधिकारी**/निर्माण **(द्वितीय तल)** के कक्ष में रखे बक्से में डाले जायेंगे या डाक द्वारा भेजे जायेंगे एवं तत्पश्चात उसी दिन निर्धारित समिति द्वारा उपस्थित प्रतियोगियों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष **अपराहन 03:30 बजे खोले जायेंगे**।

5-निविदा प्रस्ताव खोलने की तिथि से 30 दिनों के लिए मान्य होंगे ।

6-सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तावित एवं इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर की कुल धनराशि तुरन्त जमा करनी होगा, यदि वह प्रस्तावित एवं स्वीकृत कुल धनराशि (EMD धन को घटाकर) तुरन्त इस कार्यालय के रोकड

अनुभाग में जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा EMD धनराशि रु. 25000/- जब्त कर ली जायेगी। विफल निविदादाताओं की जमा EMD धनराशि नीलामी की प्रकिया के पूर्ण होने की तिथि के 30 (तीस) दिनों के अन्दर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर वापस कर दी जायेगी । EMD धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7-सफल निविदाकर्ता को सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद अगले 24 घण्टे (प्रात: 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक) में नीलाम की गयी सामग्री ले जानी होगी ।

8-यदि कोई सफल निविदादातादा कुल राशि जमा करने के बाद अगले 24 घंटे (प्रात: 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक) के अंदर सामान नहीं उठा पाता तो उससे रु.500.00 प्रतिदिन की दर से स्टोरेज चार्जेज लिया जायेगा जो सामान उठाने की तिथि तक इस कार्यालय के रोकडिया के पास जमा करना होगा। सामान उठाने/ ले जाने हेतु नियोजित श्रमिक, वाहन तथा अन्य मदों पर हुआ व्यय सम्बंधित निविदादाता को वहन करना होगा।

9- सक्षम अधिकारी द्वारा सामग्री उठाने हेतु निर्देशित किये जाने की दशा में, यदि कोई निविदा दाता अपने द्वारा प्रस्तावित/अंकित की गयी दर पर सामग्री नहीं उठाता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी EMD धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

10-नीलामी में सरकारी कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारियों का कृत्य आचार नियमावली के प्रतिकूल समझा जायेगा ।

11-किसी भी प्रकार के देय करों के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

12– निष्प्रयोज्य सामानों का 3 ढेर (लाट) होगा और भागीदार को तीनो ढेरों (लाटों) की कीमत लिखित रुप में मुहरबन्द लिफाफे में अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी । जिस निविदादाता की दर जिस ढेर (लाट) हेतु अधिकतम होगी वही निविदादाता उस ढेर (लाट) को लेने का हकदार होगा ।

13-किसी विवाद की स्थिति में उपमहालेखाकार/ प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय का निर्णय अन्तिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा एवं न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद, (उ0प्र0) होगा ।

वलेखाधिकारी सामान्य प्रशासन (मुख्य)

सेवा में,

व0लेखाधिकारी
कार्यालय म0ले0 (ले0 एवं हक0)–द्वितीय
उ0प्र0, इलाहाबाद।

महोदय,

आपके कार्यालय की निष्प्रयोज्य सामग्रियों के क्रय हेतु मैं अपनी दर निम्न प्रकार अंकित करता हूँ :–

लाट सं0		प्रस्तावित दर	
		अंको में (रू0)	शब्दों में (रू0)
1	फर्नीचर		
2	विद्युत उपकरण		
3	पुराने लिफट की निकली हुयी सामाग्री		

संलग्नक :

1. रु. 25000/-(रू0 पच्चीस हजार मात्र) का बैक ड्राफ्ट (मूल रूप में) जो "वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद" के पक्ष मे देय हो।
2. पहचान एवं निवास से सम्बंधित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति।
3. निष्प्रयोज्य सामानों का 3 ढेर (लाट) होगा और भागीदार को तीनो ढेरों (लाटों) की कीमत लिखित रुप में मुहरबन्द लिफाफे में अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी । जिस निविदादाता की दर जिस ढेर (लाट) हेतु अधिकतम होगी वही निविदादाता उस ढेर (लाट) को लेने का हकदार होगा ।

भवदीय

हस्ताक्षर :–

पूरा नामः–

पूरा पताः–

मोबाइल नं0:–